राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3601/2022

दिनेश कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, टोंक।
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली (Deoli), जिला टोंक।
5. अरूण कुमार शर्मा, व्याख्याता (ग्रेड–I) रसायन विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमेठा, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2022
आदेश की दिनांक : 15.09.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता (ग्रेड–I) रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली (Deoli), जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमेठा, जिला झालावाड़ में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित के केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से 200 कि.मी. दूर किया गया है, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया। अपीलार्थी की माताजी वृद्ध है, जिनकी आयु 78 वर्ष है। अपीलार्थी की माताजी एक विधवा महिला है, जो हृदय रोग से ग्रसित है, जिनकी देखभाल अपीलार्थी को ही करनी पड़ती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.08.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को

निर्देशित करे कि अपीलार्थी को व्याख्याता (ग्रेड–I) रसायन विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली (Deoli), जिला टोंक में कार्यरत रखा जावे तथा नियमित वेतन, समस्त परिलाभ प्रदान करने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य